न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जालोर

पीठासीन अधिकारी : भूपेन्द्र कुमार यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2018 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

वादीगण

1. किशनाराम पुत्र साजनराम, उम्र–58 वर्ष
2. वागाराम पुत्र साजनराम, उम्र– 54 वर्ष
3. हापुराम पुत्र साजनराम (फौत) के कायम मुकाम–
   1. मांगीलाल पुत्र हापुराम, उम्र–30 वर्ष
   2. जयकिशन पुत्र हापुराम, उम्र– 27 वर्ष
   3. भंवरलाल पुत्र हापुराम, उम्र– 24 वर्ष
   4. धुड़ीदेवी बैवा हापुराम, उम्र– 60 वर्ष

   जतियान– विश्नोई, निवासीगण–जाखल,त0.–सांचौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हरिराम पुत्र फुलाराम
2. तुलछी बैवा भागीरथ
3. भीखा पुत्र भागीरथ
4. भांगचंद पुत्र लाखा
5. वगा पुत्र लाखा

   जतियान–विश्नोई, निवासीगण–जाखल, त0. सांचौर
6. राज्य सरकार जरिये(भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर।
7. धर्मा पुत्र साजन (तथाकथित)
8. दोला पुत्र साजन(तथाकथित)
9. फगलू पुत्र साजन (तथाकथित)
10. हमीरा पुत्र साजन (तथाकथित)

   जातियान– विश्नोई, निवासीगण–जाखल,त0.–सांचौर।

निर्णय दिनांक 18.03.2021

वादीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित आकर दावा इस प्रकार पेश किया कि सरहद मौजा गेना का गोलिया, पटवार क्षेत्र जाखल में वादीगण के बाप दादाओ की पुश्तैनी, मालिकाना हकहकूक की खातेदारी कब्जाकाश्त के खेत खसरा नंबर 1098 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नंबर 1099 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नंबर 1100 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 1103 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नंबर 1104 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नंबर 1105 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 1106 रकबा 0.15 हैक्टर, कुल रकबा 2.93 हैक्टर भूमि आई हुई है। व ग्राम जाखल के खसरा नंबर 1467 रकबा 0.28 हैक्टर के आये हुए है। सहखातेदार रूखमणी बैवा लाखा की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रतिवादी भीखा का नाम जमाबन्दी में नाबालिंग लिखा गया है जबकि भीखा बालिंग हो गया है, जिसकी उम्र वर्तमान में 25 वर्ष है। उक्त वादग्रस्त आराजी में धर्मा, दोला, फगलू, हमीरा के नाम लिपिकीय त्रुटि से काल्पनिक तौर से लिखे गये है जो बैनामी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.06.23 12:25:43 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजी के पुराना खसरा नम्बर 512 थे, जिसके नवीन खसरा नम्बर पैरा सं. 1 में वर्णित द्वितीय सेटलमेन्ट में सृजित हुए। वादग्रस्त आराजी साजन वल्दा कोहला के नाम से दर्ज हुई। जो

18/3/21

Scanned by CamScanner

संलग्न मिसल बंदोबस्त से स्पष्ट है। स्व.साजन के चार पुत्र क्रमशः हापु, माला,किसना, वागा थे, जिसमें माला नाऔलाद फौत हो चुका है, हापु भी फौत हो चुका है,

साजन के चार पुत्र थे, जो माला नाऔलाद फौत होने व निर्वसियती की सम्पति हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में विहित अनुसूचि के अनुसार स्व. माला के हिस्से की भूमि वागा, किसना, हापू को न्यायगमन हो गयी, जिससे वादग्रस्त भूमि में हापू, किसना, वागा प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा मालिकाना हक हकूक कब्जा काश्त की कानूनीया आती है। स्व. हापू के फौत होने पर हापू के तीन पुत्र व उसकी बैवा धूड़ीदेवी का अंश व हिस्से पर रहवासीय ढाणियां, पक्के कुए स्थित है, आराजी के चारों तरफ वर्षो पुरानी थोर की मांठ भी स्थित है।

स्व. साजन के चारो पुत्रो के आलावा अन्य कोई पुत्र नही था, लेकिन साजन के फौत होने पर फौदगी नामान्तरण में हल्का पटवारी में बिना जाँच पड़ताल किये व हम वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अवैध व गैर कानूनी रूप से वादग्रस्त भूमि में धर्मा, दोला, फगलू, हमीरा पिता साजन का नाम दर्ज कर दिया, जबकि उक्त नाम के साजन के कोई पुत्र नहीं था, व नही है। न ही उक्त नाम के लोगों का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा था व है। उसके बावजुद भी गैर कानूनी रूप से इनका बैनामी काल्पनिक तौर से नाम दर्ज कर दिया तथा वादीगण को अपने हक हकुक से वंचित कर दिया। जो ऐसा करने का राजस्व एजेन्सी को कोई कानूनी अधिकारी नहीं था, जबकि वास्तविक रूप से स्व. साजन के चार पुत्र होने से एक पुत्र माला के नाऔलाद फौत होने पर वादग्रस्त भूमि में साजन के पुत्र हापू के साथ– साथ वादी किसना व वागा का नाम दर्ज करना था, जो नही किया गया। वादी किसना व वागा स्व. साजन के जाईन्दा पुत्र होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की प्रथम अनुसूचि के वारिश होने से वादग्रस्त उनके निर्वसियती आराजी में हक हकुक पानें के अधिकारी है लेकिन इनका नाम दर्ज नही कर हको से वंचित कर दिया है जिसके वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी होने से दावा प्रस्तुत है।

वादग्रस्त भूमि में हापू के साथ धर्मा, दोला, फगलू, हमीरा के नाम काल्पनिक तौर से बैनामी नाम लिखे गये है, जो उक्त नामों के व्यक्तियान स्व. साजन के पुत्र नहीं थे। उसके बावजूद भी इनका नाम गैर कानूनी रूप से व लिपिकीय भूल से इन्द्राज कर दिया है, जिससे वादीगण उक्त लिपिकीय भूल को दुरूस्ती करवाने का कानूनी हकदार है तथा वादी किसना व वागा वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा पानें के हकदार है तथा स्व. हापू के फौत होने पर वादी क्रमांक 3 में वर्णित नाम दर्ज करवाने के कानूनी हकदार है, तथा वादग्रस्त भूमि में धर्मा, दोला, फगलू, हमीरा का नाम लिपिकीय भूल से बैनामी तौर से लिखा गया है, जिसका कोई हक हकूक नही होने से इनका नाम जमाबन्दी से विलोपित करवाकर रेकर्ड दुरूस्ती करवाने के वादीगण हकदार होने से व अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के हकदार होने से दावा पेश है।

वादीगण के ग्राम–जाखल व गेना के गोलिया के अलावा अन्य ग्राम धमाणा व मालवाड़ा में भी वादीगण के बाप–दादाओं की भूमि आयी हुई थी, जिनमें स्व.साजन के फौत होने पर साजन के चारों पुत्रो का नाम सही व विधिवत दर्ज किया गया है तथा माला के नाऔलाद फौत होने पर तीनो पुत्रों के नाम भूमि दर्ज की गयी है, जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। उस दस्तावेजों से साबित है कि साजन के उक्त वारिशों के अलावा अन्य कोई वारिश नही थे। इसी प्रकार राशनकार्ड निर्वाचन पहचान कार्ड, वोटर लिस्ट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जिससे भी साबित है कि स[illegible] के धर्मा, दोला, फगलू, हमीरा नाम के कोई पुत्रगण, वारिश नही थे। उसके बावजूद भी बिना [illegible] बैनामी ,काल्पनिक तौर से लिखे गये है। जिससे वादीगण रेकर्ड दुरूस्ती करवाने के हकदार है। [illegible] वादग्रस्त भूमि में बैनामी नाम गलत तौर से दर्ज करने से [illegible] वादीगण को के.सी.सी. कार्ड बनाने व अन्य कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, हम वादीगण नें राज्य सरकार द्वारा आयोजित कई केम्पों में भी चक्कर काटें लेकिन कोई कार्यवाही नही होने से दावा प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.06.23 12:25:43 IST
Reason: SelfAttested

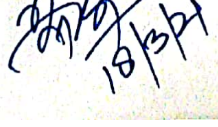

Scanned by CamScanner

विनायदवाद उस समय पैदा हुआ कि स्व.साजन के फौत होने पर उनके जाईनदा वारिश हापू के साथ वादी किसना व वागा का नाम बराबर दर्ज करना था, लेकिन राजस्व एजेन्सी नें लिपिकीय भूल से बिना जाँच किये किसना व वागा का नाम दर्ज नही किया तथा इनकी जगह धर्मा, दोला, फगलू, हमीरा के काल्पनिक नाम दर्ज कर दिये जो इस नाम से स्व. साजन के कोई पुत्र नही थे। इनकी हमें जानकारी होने पर वादीगण नें प्रशासन गांव के संग अभियान–2013 में पेश किया, जिसमें राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त रेकर्ड दुरूस्ती करने की ना आपत्ति भी पेश की लेकिन पुख्ता कोई कार्यवाही नही हुई। तत्पश्चात वादीगण नें आज से दस रोज पूर्व तहसीलदार सांचौर को निवेदन किया तो तहसीलदार सांचौर नें उक्त रेकर्ड दुरूस्ती करनें से इन्कार कर दिया, जिससे विनायवाद पैदा हुआ है।

सरहद मौजा– गेना का गोलिया व जाखल के खेत जिसका वर्णन वाद के पैरा संख्या एक में वर्णित है, कि आराजी में स्व. साजन के फौत होने पर उनके निर्वसियती पुश्तैनी सम्पति में तत्कालीन जिवित तीनों पुत्रो का नाम विधिनुसार दर्ज करना था, लेकिन हल्का पटवारी नें बिना जांच पड़ताल किये गैर कानूनी रूप से धर्मा,दोला,फगलू, हमीरा का नाम बैनामी तौर से दर्ज कर दिया तथा वादी किसना व वागा स्व. साजन के जाईन्दा पुत्र होते हुए भी नाम दर्ज नही कर खातेदारी हको से वंचित कर दिया। जिससे वादग्रस्त आराजी में स्व. साजन की भूमि में वादी किसना व वागा के 1/3, 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है, तथा स्व.हापू के फौत होने पर उनके हिस्से में उनके वारिश के 1/3 हिस्सा का खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी होने से उक्तानुसार खातेदारी घोषणा की डिक्री बहक प्रतिवादीगण जारी फरमावें।

जवाबदावा अजतरफ प्रतिवादी संख्या 1 से 5 क्रमशः हरीराम पुत्र फुलाराम, तुलसी बैवा भागीरथ, भीखा पुत्र भागीरथ, भागचंद पुत्र लाखा, वागा पुत्र लाखा, जातियान– विश्नोई, निवासीगण–जाखल, तहसील–सांचौर का इस प्रकार है कि– स्वर्गीय साजन के चार पुत्र हापू, माला, किशना, वागा थे। जिसमें माला नाऔलाद फौत हो चुका है तथा हापु भी फौत हो चुका है जिसके वारिश वादी क्रमांक 3(1,2,3,4) है। तथा इसके अलावा किशना व वागा हैं। उक्त वारिसों के अलावा साजन के कोई पुत्रगण या वारिस नहीं थे उसके बावजूद भी राजस्व रेकर्ड में स्व. साजन के फौतेदगी नामान्तरकरण में वादग्रस्त भूमि में धर्मा,दौला फगलू,हमीरा का नाम लिखा दिया गया है जो गलत व लिपीकीय भूल से लिखा है। उक्त नाम के स्व. साजन के कोई पुत्रगण कभी नही थे एवं न ही हैं। तथा न ही मौके पर ऐसे व्यक्तियों का कोई कब्जा रहा है जिससे इनके इनके नाम रेकर्ड में से हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो हम वादीगण को कोई उजर, एतराज या आपत्ति नहीं है।

माफिक अनुतोष वादीगण के नाम खातेदारी घोषणा की जाकर डिक्री की जाकर रेकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उजर, एतराज नहीं है। सभी पक्षों के न्याय की प्राप्ति के उद्धेश्यों हेतु रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना न्यायसंगत हैं।

वाद में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि वर्तमान जमाबंदी के अनुसार हापुडा, धरमा,ढोला, फगलू, हमीरा पिसरान साजन, कौम– विश्नोई, सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। जाखल गांव से नवसृजित राजस्व ग्राम गेना का गोलिया हुआ है जिसमें भी इस खसरा नम्बरान की भूमि इनके नाम दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि साजन वल्द कोहला के नाम दर्ज थी, [illegible] के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण में धर्मा, दोला, फगलु, हमीरा पि. साजन के नाम [illegible]मी लिखा गया है जबकि हल्का पटवारी– जाखल से प्रशासन गांवो के संग अभियान–2013 में [illegible] प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर की गई रिपोर्ट अनुसार साजन के चारों पुत्र हापु, किशना, माला, [illegible] नाम दर्ज किया जाना उचित है। इस संबंध में रिपोर्ट पेश हुई। इसी प्रकार भू– निरीक्षक [illegible] अरणाय द्वारा की गई रिपोर्ट अनुसार स्वर्गीय साजन के पुत्रगण है साजनराम के धर्मा, हापुडा उर्फ हापु, किशनालाल, मालाराम, वागाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.06.23 12:25:43 IST
Reason: SelfAttested

18/3/2021

Scanned by CamScanner

दोला, फगलु, हमीरा नाम के पुत्र नहीं है इनका वारिसदार के रूप में गलत नामान्तरकरण हुआ है। इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण के ग्राम धमाणा में भूमि आयी हुई हैं जिसमें स्व. साजनराम के चारों पुत्रों के नाम सही नामान्तरकरण भरा गया है। उक्त आशय की रिपोर्ट भी भू–निरिक्षक– अरणाय द्वारा पेश हुई है। वर्तमान में प्रार्थीगण के कथनानुसार माला नाऔलाद फौत हो गया है तथा हापु भी फौत हो गया है।

हल्का पटवारी– जाखल, भू निरिक्षक– अरणाय की रिपोर्ट अनुसार वादीगण के नाम रेकर्ड में दर्ज किए जाते है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नही होता है।

स्व. साजनराम के वास्तविक व सही वारिसान का नाम संशोधन कर राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी व भू निरिक्षक की पूर्व में की गई रिपोर्ट अनुसार किए जाने से राज्य सरकार का कोई हक प्रभावित नहीं होता है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013 के पटवारी हल्का व भू निरिक्षक द्वारा की गई जांच रिपोर्ट अनुसार गुणावगुण पर रेकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होगा। तथा इस कार्यालय के सामने आज दिन तक धर्मा, दोला, फगलू, हमीरा पिसरान साजन नाम से किसी व्यक्ति ने खातेदारी होने बाबत कोई प्रार्थना पत्र या एतराज पेश किया है।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में Pw1 किसनाराम, Pw2 वागाराम पुत्र साजनराम, Pw3 वागाराम पुत्र लाखाराम एवं Pw4 रूगनाथराम पेश किये।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

1. तनकी संख्या 1

आयावादीगण ग्राम गेना का गोलिया व जाखल की आराजी जिसका वर्णन वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित है कि आराजी में स्व. साजन के निर्वसियती फौत होने पर तात्कालिक जीवीत तीन पुत्रों का नाम दर्ज नहीं कर धर्मा, दोला, फगलू, हमीरा का नाम बेनामी तौर से दर्ज करने से वादग्रस्त आराजी में वादी किसना व वागा 1/3 हिस्सा व स्व. हापू के फौत होने पर उनके वारिश वादीगण होने व वादग्रस्त भूमि में वादीगण का मालिकाना हक हकूक व काब्जा काश्त का होने से वादीगण खातेदारी घोषणा डिक्री पाने के हकदार है। – जिम्मेवादीगण–

वादीगण के अनुसार आराजी मुतनाजा ग्राम गेना का गोलिया खेत खसरा संख्या 1098, 1099, 1100, 1103, 1104, 1105, 1106, व ग्राम जाखल के खसरा संख्या 1467 में धर्मा, दोला, फगलू व हमीरा के नाम लिपिकिय भूल से काल्पनिक तौर से लिखे गये है।

उक्त वर्तमान खसरा नम्बर पूर्व में खसरा संख्या 512 एवं 670/792 से बने है। वादग्रस्त आराजी पुर्व में साजन वल्द कोहला के नामे दर्ज थी। साजन के चार पुत्र थे हापु, माला, किसना, वागा थे जिसमें माला नाऔलाद फौत हो चुका है। अतः साजन के तीन पुत्रों व उनके वारिशानों के नाम 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है।

साजन के फौत होने पर नामान्तरण बिना सुनवाई का अवसर दिये धर्मा, दोला, फगलू व हमीरा के नाम दर्ज कर दिये गये जबकि इस नाम के साजन के कोई पुत्र ही नहीं है एवं वास्तविक पुत्रों के नाम दर्ज होने से शेष रह गये।

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में [illegible] खाता संख्या 127 गेना का गोलिया एक्जिबिट 1, खाता संख्या 311 ग्राम जाखल एक्जिबिट [illegible] खाता संख्या 153 धमाणा एक्जिबिट 3, खाता संख्या 200 ग्राम मालवाड़ा [illegible] 4, [illegible] बंदोबस्त द्वितीय एक्जिबिट 5, जमाबंदी संवत 2042 से 2045 ग्राम जाखल एक्जिबिट 6 [illegible] संवत 2012 से 2071 एक्जिबिट 7, जमाबंदी संवत 2058–2061 ग्राम जाखल [illegible]जिबिट 8, एक्जिबिट 9 खतौनी, एक्जिबिट 10 बंदोबस्त ग्राम जाखल संवत् 2054 से 2057, 2037 से 2040, 2033 से 2036

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.06.23 12:25:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

एक्जिबिट 11 मिलान क्षेत्रफल एक्जिबिट 12 नामान्तरणकरण 113 ग्राम जाखल एक्जिबिट 13, नामान्तरणकरण 153 धमाणा एक्जिबिट 14 एवं अन्य दस्तावेज पेश किये।

जवाब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के अनुसार धर्मा, दोला, फगलू, हमीरा गलत लिखे गये है। जबकि स्व. साजन के 4 पुत्र हापू, माला, किशना व वागा थे। अतः रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाना उचित है।

जवाब तहसीलदार के अनुसार स्व. साजन के चार पुत्र हापू, माला, वागा व किशना है। नामान्तरकरण गलत दर्ज हुआ है। माला नाऔलाद फौत हो गया है अतः दावा वादीगण के अनुसार खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित है।

प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों एवं जवाबदावा प्रतिवादीगण से स्पष्ट है कि स्व. साजन के चार पुत्र हापू, माला, वागा, व किशना थे। साजन के फौतगी के नामान्तरणकरण एवं जमाबंदी तैयार करते वक्त त्रुटिवंश फगलू, हमीरा, धर्मा व दोला के नाम दर्ज किये गये है। स्व. साजन के चार पुत्रों में से माला नाऔलाद फौत हो चुका है। वादीगण की ग्राम धमाणा स्थित आराजी खाता संख्या 153 में हापूराम, किशनाराम व वागाराम के नाम दर्ज है। अतः वादीगण यह तनकी सिद्ध करने में सफल रहें है।

तनकी संख्या 2

आया वादीगण वादग्रस्त भूमि में स्व. साजन के फौत होने पर धर्मा, दोला,फगलू, का नाम बैनामी रूप से लिखें जाने से उक्त नाम के स्व. साजन के कोई वारिश होने से बैनामी नामों को विलोपित करवाकर रेकर्ड दुरूस्ती करवानें के वादीगण हकदार है। —जिम्मेवादीगण—

इस तनकी संबंधी तथ्यों का विवेचन भी तनकी संख्या 1 की व्याख्या में किया जा चुका है। वादीगण बैनामी नामों को विलोपित कराने एवं रिकॉर्ड दुरूस्त कराने के हकदार होने से यह तनकी भी वादीगण के हक में तय की जाती है।

आदेश

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम गेना का गोलिया खाता संख्या 127 एवं ग्राम जाखल खाता संख्या 311 में धर्मा, दौला, फगलू व हमीरा के नाम हटाये जाकर स्व. साजन के वारिसान किसना, वागा एवं स्व. हापूराम के वारिसान के नाम स्व. साजन के हिस्से में से 1/3, 1/3, 1/3 की खातेदारी दर्ज की जावें।

18/3/2021

(भूपेन्द्र कुमार यादव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर

(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर

(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.06.23 12:25:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner